

26 ⁸/₁₉ पत्रावली पेश हुई। आधीवसा प्राची उपस्थित है।
 अधिवसा प्राची की लक्ष पर मत दिया एवं
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली
 के अवलोकन से सिद्ध है कि शाह मातावली का युद्ध
 की जमावली सम्बन्ध 2070-73 में खाला संख्या-
 75 क्रि-17 रकब 12-08-03 बीघा भूमि
 प्राप्तिगण के शाह पर राजस्व रेकर्ड में
 दर्ज है। जिसके सम्बन्ध में अस्पष्ट निवेदन
 का बाद सिन्धुवादीक है। बाद का निस्कारण
 साक्ष्य सख्तों व गुणाव युग के आधा पर
 विनिश्चित होगा। उक्त वादग्रस्त भूमिप्राप्ति
 प्राप्तिगण की खातेदारी भूमिप्राप्ति है जिसमें
 प्रथम दृष्टया मादला प्राप्तिगण के पक्ष में
 खतरा है व सुविधा का संतुलन भी
 प्राप्तिगण के पक्ष में है एवं अप्राप्ति
 शर्त भी प्राप्तिगण को होगी जिसमें
 उक्त वादग्रस्त भूमिप्राप्ति पर अस्पष्ट निवेदन
 जारी भी जाना अपेक्षित प्रतीत होता है।
 अतः प्राप्तिगण का प्रार्थित पत्र स्वीकार
 किया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमिप्राप्ति पर
 मूल वाद के निस्कारण तक इस आशय
 की अस्पष्ट निवेदन जारी की जाती
 है कि अप्राप्तिगण प्राप्तिगण की स्वामित्व
 आदिपत्र की शर्त में किसी प्रकार से
 दरबान्दाजी नहीं करे, न ही किसी भन्ध
 से करावे। पत्रावली केवल शुद्ध होकर
 जम्मा से रकम हो। निर्णय सुले न्यायालय
 में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) जुमलागढ़
 जिला-राजसमन्

